



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277428
CG-DL-E-26102026-277428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5565]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 26, 2026/कार्तिक 4, 1948

No. 5565]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2026/KARTIKA 4, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5782(अ).— यतः, मै. अधिष्ठान प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व मै. ब्रैंडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने आंध्रप्रदेश राज्य के दुप्पितूर, मोदुरुपालेम, मारुतूर और गुरुजापालेम गांव, विशाखापत्तनम जिले में वस्त्र के लिए एक विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था;

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	का.आ. 539(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 2007	404.70	-	404.70

2.	का.आ. 2773(अ) दिनांक 06 अगस्त, 2020	-	17.894	386.806
3.	का.आ. 4821(अ) दिनांक 5 नवंबर, 2024	-	25.428	361.378

और यतः, मै. अधिष्ठान प्राइवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 40.103 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है

और, यतः आंध्रप्रदेश राज्य सरकार ने उनके पत्र नंबर 390671/इफ्रा/ए3/2018-21 दिनांक 28 जून, 2026 और 390671/इफ्रा/ए3/2018-23 दिनांक 5 जुलाई, 2026 के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनधिसूचना के बाद, भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा और ऐसा विमुद्रीकृत क्षेत्र संबंधित राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान की पुष्टि करेगा;

और यतः विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 40.103 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 40.103 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 321.275 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	दुप्पितुरु, अच्युतापुरम मंडल	235	प्लॉट-1	0.170
2		236	प्लॉट-1	0.777
3		238	प्लॉट-1	2.396
4		239	प्लॉट-1 एवं 2	1.092
5		289	प्लॉट-2	0.028
6		291	प्लॉट-2	0.197
7		292	प्लॉट-2	0.304
8		293	प्लॉट-1 एवं 2	0.121
9		294	प्लॉट-2	0.162
10		295	प्लॉट-1 एवं 2	2.037
11	मोटुरुपालेम, रामबिल्ली मंडल	172/पी	प्लॉट-2	0.542
12		179/पी	प्लॉट-1 एवं 2	0.728
13		180/पी	प्लॉट-2	1.133
14		181	प्लॉट-2	0.186
15		182	प्लॉट-2	1.299
16		183	प्लॉट-2	0.219
17		184	प्लॉट-1 एवं 2	1.623

18		185	प्लॉट-2	0.635
19		186	प्लॉट-1 एवं 2	4.144
20		187	प्लॉट-1 एवं 2	0.425
21		188	प्लॉट-1	0.142
22		189/पी	प्लॉट-1	0.783
23		190/पी	प्लॉट-1	0.166
24		202/पी	प्लॉट-1	0.221
25		203	प्लॉट-1	2.063
26		204	प्लॉट-1 एवं 25	1.444
27		205	प्लॉट-1	0.728
28		206	प्लॉट-1	2.643
29		207	प्लॉट-1	2.493
30		208	प्लॉट-1 एवं 25	0.716
31		209	प्लॉट-1 एवं 25	0.024
32		211	प्लॉट 25 एवं प्लॉट- डी	0.592
33		212	प्लॉट 25 एवं प्लॉट- डी	1.197
34		213	प्लॉट 25 एवं प्लॉट- डी	2.717
35		214/पी	प्लॉट 25 एवं प्लॉट- डी	0.125
36		215/पी	प्लॉट 25	0.091
37		216/पी	प्लॉट 25 एवं प्लॉट- डी	0.202
38		222	प्लॉट- डी	3.116
39		223	प्लॉट 25 एवं प्लॉट- डी	2.325
40		224	प्लॉट 25	0.097
कुल				40.103
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल				321.275

[फा. सं. एफ.2/289/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2026

S.O. 5782(E).— Whereas, M/s. Adhistan Private Limited (formerly M/s. Brandix India Apparel City Pvt. Ltd), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Textile at Duppituru, Moturupalem, Maruturu and Gurujapalem Villages, Visakhapatnam District in the State of Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table: -

Sl. No.	Notification No. and Date	Notified area (in Ha)	De-notified area (in Ha)	Total resultant area (in Ha)
1.	S.O.539(E) dated 10th April, 2007	404.70	-	404.70
2.	S.O.2773(E) dated 6 th August, 2020	-	17.894	386.806
3.	S.O.4821(E) dated 5 th November, 2024	-	25.428	361.378

AND, WHEREAS, M/s. Adhistan Private Limited has now proposed for de-notification of 40.103 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Andhra Pradesh has given its approval to the proposal vide letters No.390671/Infra/A3/2018-21 dated 28th June, 2026 and No.390671/Infra/A3/2018-23 dated 5th July, 2026. Further, after de-notification, the land parcels would be utilized for the creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged and such de-notified area will confirm to Land Use Guidelines/master plans of the respective State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 40.103 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005, and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 40.103 hectares, thereby making the resultant area as 321.275 hectares. The survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No	Name of Village	Survey No.	Plot No.	Area (in Hectares)
1	Duppituru, Atchuthapuram Mandal	235	Plot-1	0.170
2		236	Plot-1	0.777
3		238	Plot-1	2.396
4		239	Plot-1 & 2	1.092
5		289	Plot-2	0.028
6		291	Plot-2	0.197
7		292	Plot-2	0.304
8		293	Plot-1 & 2	0.121
9		294	Plot-2	0.162
10		295	Plot-1 & 2	2.037
11	Moturupalem, Rambilli Mandal	172/P	Plot-2	0.542
12		179/P	Plot-1 & 2	0.728
13		180/P	Plot-2	1.133
14		181	Plot-2	0.186
15		182	Plot-2	1.299
16		183	Plot-2	0.219
17		184	Plot-1 & 2	1.623
18		185	Plot-2	0.635
19		186	Plot-1 & 2	4.144

20		187	Plot-1 & 2	0.425
21		188	Plot-1	0.142
22		189/P	Plot-1	0.783
23		190/P	Plot-1	0.166
24		202/p	Plot-1	0.221
25		203	Plot-1	2.063
26		204	Plot-1 & 25	1.444
27		205	Plot-1	0.728
28		206	Plot-1	2.643
29		207	Plot-1	2.493
30		208	Plot-1 & 25	0.716
31		209	Plot-1 & 25	0.024
32		211	Plot 25 & Plot- D	0.592
33		212	Plot 25 & Plot- D	1.197
34		213	Plot 25 & Plot- D	2.717
35		214/P	Plot 25 & Plot- D	0.125
36		215/P	Plot 25	0.091
37		216/P	Plot 25 & Plot- D	0.202
38		222	Plot- D	3.116
39		223	Plot 25 & Plot- D	2.325
40		224	Plot 25	0.097
	Total			40.103
	Grand total of the SEZ after the above deletion			321.275

[F. No. F.2/289/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.